न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : लोक बंधु, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 17/2016

अपीलांट–	*बनाम*	**रेस्पोडेंट्स –**
कालुराम पुत्र दौलाराम जाति जाट निवासी मेवानगर तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर		1. रावताराम पुत्र भानाराम जाति मेघवाल निवासी मेवानगर तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर 2. निम्बाराम पुत्र लिखमाराम जाति जाट निवासी मेवानगर तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर 3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पचपदरा

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0 काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध निर्णय दिनांक 12.10.2015 जो प्रकरण सं. 01/2015 अनवान रावताराम बनाम कालुराम में तहसीलदार पचपदरा द्वारा पारित किया।

उपस्थिति :–

1. श्री भंवरलाल चौधरी, अधिवक्ता अपीलांट की ओर से उपस्थित।
2. श्री सुरेश कुमार पूनड़, अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1 की ओर से उपस्थित।
3. रेस्पोडेंट सं. 2 व 3 प्रफॉर्मा पक्षकार।

न्यायालय जिला कलक्टर
बाड़मेर (राजस्थान)

निर्णय

दिनांक : 10.08.2021

1. अपीलांट की ओर से यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत तहसीलदार पचपदरा के द्वारा प्रकरण सं. 1/2015 अनवान रावताराम बनाम कालुराम व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 12.10.2015 के विरूद्ध पेश की गई हैं।

2. प्रस्तुत अपील के [illegible] मौजा मेवानगर के खसरा नम्बर 1183/396 रकबा 12–00 बीघा [illegible] रावताराम पुत्र भानाराम कौम मेगवाल साकिन मे[illegible] अदालत केम्प मे[illegible] में तहसीलदार पचपदरा के समक्ष प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन [illegible] कि मौजा मेवानगर के खसरा नम्बर 1183/396 रकबा 12–00 बीघा भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2021.08.31 17:42:42 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

उसकी स्वंय की खातेदारी की हैं जिस पर कालुराम पुत्र दौलाराम जाति जाट निवासी बायतु वाला ने जबरदस्ती कब्जा कर रखा हैं। हमारे खेत पर जाते हैं तो वह औरतों को हमसे झगड़ा करने भेजता हैं तथा झगड़ा करता हैं। हमने पुलिस थाना में रिपोर्ट दर्ज करवाई हैं परन्तु आज दिन तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। अतः हमारी खातेदारी की भूमि का कब्जा दिलावें तथा न्याय करावें। इस पर तहसीलदार पचपदरा द्वारा हल्का पटवारी को कब्जा की रिपोर्ट पेश करने हेतु निर्देशित किया गया। हल्का पटवारी मेवानगर द्वारा मुतनाजा भूमि का मौका मुआयना कर मौका कब्जा के सम्बन्ध में मौका फर्द एवं नजरी नक्शा के साथ–साथ पूर्व में की गई नेखमबंदी की फर्द की छाया प्रति संलग्न कर तहसीलदार पचपदरा को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत की गई। तहसीलदार पचपदरा द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण अन्तर्गत धारा 183बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा सुनवाई उपरांत अप्रार्थीगण कालुराम व निम्बाराम को उक्त भूमि पर अतिक्रमी करार दिया जाकर उन्हे मौके से बेदखल किये जाने का अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.10.2015 पारित किया गया। अपीलांट्स ने उक्त आदेश के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 19.01.2016 को प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने मे हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर
सत्यमेव जयते
बाड़मेर (राजस्थान)

3. अपीलांट की अपील मयाद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं अपीलाधीन मूल अभिलेख मंगवाया जाकर अवलोकन किया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अपीलांट व रेस्पो0 सं. 1 के अधिवक्तागण को सुना। अपीलांट के योग्य अधिवक्ता ने प्रकट किया कि मौजा मेवानगर मे सरकारी भूमि का खसरा नम्बर 396 आया हुआ हैं जिसका रकबा काफी बड़ा है एवं इसमें कई काश्तकारों को भूमि का आवंटन हुआ हैं। उक्त भूमि में से 30 बीघा भूमि जोधाराम पुत्र डायाराम जाति मेगवाल निवासी असाड़ा को आवंटन किया गया था, जिसने वालाराम पुत्र लांगाराम जाति मेगवाल निवासी सां[illegible] को बेचान कर दिया। उक्त वालाराम ने अपनी भूमि में से 12 [illegible] का बेचान रेस्पो0 सं. 1 रावताराम को दिनांक 21[illegible] भूमि के आवंटी जोधाराम एवं प्रथम क्रेता वालाराम तक भूमि के मौके कब्जे को लेकर कोई विवाद नहीं था, किन्तु वालाराम से जब रावताराम ने खरीदी तब मौके पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2021.08.31 17:42:42 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

कब्जा से भिन्न नक्शे में तरमीम करवाई गई, जहां अपीलांट का कब्जा–काश्त संवत 2030 से आदिनांक निरन्तर हैं। रेस्पोडेंट रावताराम ने गलत तरमीम करवाकर मौके पर विवाद पैदा किया हैं जबकि उसका आज दिन तक कभी कब्जा नहीं रहा हैं। अपीलांट का इस भूमि पर पुराना कब्जा, ढाणी, टांके, चारबाड़े वगैरह बने हुए हैं उस स्थान पर गलत तरमीम करवा कर उसे बेदखल करने की नियत से यह कार्यवाही की गई हैं। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार पचपदरा द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई का अवसर नहीं दिया तथा बिना विधिवत नोटिस तामील कराये ही एकपक्षीय निर्णय पारित कर दिया हैं जिससे प्राकृति न्याय के सिद्धान्तों का हनन हुआ हैं। अपीलांट एक भूमिहीन गरीब काश्तकार हैं जिसका इस विवादित भूमि पर संवत 2030 से लगातार कब्जा–काश्त है व वर्तमान में भी अपीलांट का ही कब्जा–काश्त हैं। रेस्पोडेंट सं. 1 का ग्राम मेवानगर के खसरा नम्बर 396 में जहां उसका कब्जा हैं वह जमीन बिना तरमीम के खाली पड़ी है वहां तरमीम किये जाने व अपीलांट की कब्जाशुदा भूमि अपीलांट के नाम से पुराने कब्जा–काश्त होने से नियमन किये जाने का आदेश फरमाया जावें।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

5. अपीलांट के अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पूर्णतः अपीलांट के बिना सुनवाई के एकतरफा पारित किया गया था। इस आदेश की पालना में सर्वप्रथम हल्का पटवारी व हल्का भू–अभिलेख निरीक्षक मौके पर आने व अपीलांट को इस आदेश के बारे मे बताने पर ज्ञान हुआ जिस पर अपीलांट ने अधिनस्थ न्यायालय से नकलें मांगी जो दिनांक 14.01.2016 को मिली, उसके बाद दो दिन अवकाश हो जाने पर यह अपील इस न्यायालय के समक्ष ज्ञान होने की तारीख से अन्दर मयाद पेश की जा रही हैं। अतः अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जारी एक तरफा आदेश दिनांक 12.10.2015 खारिज किये जाने का आदेश फरमाया जावें।

6. रेस्पोडेंट्स सं. 1 की ओर से अधिवक्ता द्वारा जवाब में निवेदन किया कि मौजा मेवानगर के खसरा नम्बर 1183 / 396 रकबा 12–00 बीघा भूमि रेस्पोडेंट सं. 1 की खातेदारी की आई हुई हैं। रेस्पोडेंट एक अनुसूचित जाति वर्ग का सदस्य है तथा अपीलांट व रेस्पो. सं. 2 ने मिलकर गरीब काश्तकार की भूमि पर जबरदस्ती [illegible] करीब 06–00 बीघा भूमि पर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर लिया हैं। रेस्पोडेंट जब अपनी खातेदारी भूमि पर काश्त इत्यादि के लिये जाता हैं तो अपीलांट व रेस्पो0 सं. 2 झगड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2021.08.31 17:42:42 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

करने में उतारू हो जाते हैं तथा झगड़ा करते हैं तथा रेस्पो0 सं. 1 को काश्त से महरूम रखते हैं। रेस्पोडेंट सं. 1 ने सर्वप्रथम अपनी भूमि का सीमाज्ञान करवाते हुए मौके पर की गई पैमाईश के आधार पर नेखमबन्दी करवाई गई। इस नेखमबन्दी कार्यवाही के दौरान पैमाईश में यह सामने आया कि रेस्पोडेंट की खातेदारी की भूमि में से 6–00 बीघा पर अतिक्रमण हैं। इस पर रेस्पोडेंट सं. 1 ने राजस्व लोक अदालत, न्याय आपके द्वार शिविर मेवानगर में तहसीलदार पचपदरा के समक्ष प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर भूमि का कब्जा दिलाये जाने का निवेदन किया । तहसीलदार पचपदरा द्वारा हल्का पटवारी से पुनः मौका कब्जा की रिपोर्ट तलब की एवं प्रकरण अन्तर्गत धारा 183बी राज0 काश्तकारी अधिनियम के तहत दर्ज कर अपीलांट व रेस्पो0 सं. 2 को नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेंट सं. 2 निम्बाराम द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर कब्जा हटा दिया जाना प्रकट किया, जबकि अपीलांट न तो न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ और न ही कोई जवाब प्रस्तुत किया गया। इस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत रूप से एक अनुसूचित जाति के काश्तकार के अधिकारों की रक्षा में अपीलाधीन आदेश पारित किया गया हैं जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक या वाक्याती भूल नहीं की गई हैं। अपीलांट ने जानबूझकर अपना अवैध कब्जा बरकरार रखने हेतु उक्त न्यायिक कार्यवाही का आलम्ब लिया हैं अन्यथा मुतनाजा भूमि पर अपीलांट का कोई हक–अधिकार नहीं हैं। अतः अपीलांट की यह अपील सारहीन व आधारहीन होने से खारिज योग्य हैं।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

7. हमने अपीलांट एवं रेस्पोडेंट सं. 1 के अधिवक्तागण द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं अपीलाधीन अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि मौजा मेवानगर के खसरा नम्बर 1183/396 रकबा 12–00 बीघा के खातेदार रावताराम पुत्र भानाराम कौम मेगवाल साकिन मेवानगर ने राजस्व लोक अदालत केम्प मेवानगर में तहसीलदार पचपदरा के समक्ष प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा मेवानगर के खसरा नम्बर 1183/396 रकबा 12–00 बीघा भूमि उसकी स्वंय की खातेदारी की हैं जिस पर कालुराम पुत्र दौलाराम जाति जाट निवासी बायतु वाला ने जबरदस्ती कब्जा कर रखा हैं। अतः हमारी खातेदारी की भूमि का कब्जा दिलावें तथा न्याय करावें। इस पर तहसीलदार पचपदरा द्वारा हल्का पटवारी को कब्जा की रिपोर्ट पेश करने हेतु आदेशित किया गया। हल्का पटवारी मेवानगर द्वारा मुतनाजा भूमि का मौका जांचना कर मौका–कब्जा के सम्बन्ध में मौका फर्द एवं नजरी नक्शा के साथ–साथ पूर्व में की गई नेखमबंदी की फर्द की छाया प्रति संलग्न कर तहसीलदार पचपदरा को

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2021.08.31 17:42:42 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत की गई। तहसीलदार पचपदरा द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण अन्तर्गत धारा 183बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष सुनवाई के दौरान रेस्पो0 सं. 2 ने व्यक्तिशः उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया तथा निवेदन किया कि ग्राम मेवानगर में सरकारी भूमि जो मेरे खसरे के पडौस में थी, उक्त भूमि की पैमाईश होने पर मैने कब्जा हटा दिया हैं तथा मौके पर आज मेरा कोई कब्जा या अतिक्रमण नहीं हैं। अपीलांट की तलबी हेतु अधिनस्थ न्यायालय की ओर से जारी नोटिस स्वंय घर पर उपस्थित नहीं होने पर परिवार के सदस्यों द्वारा दो मौतबिरान के रूबरू लेने से इंकार किया गया। इस प्रकार अपीलाधीन कार्यवाही का अपीलांट को ज्ञान था तथा उसके परिवार के सदस्यों द्वारा जानबूझकर नोटिस तामील से इंकार किया गया हैं। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन कार्यवाही में विधिवत रूप से अपीलांट को सुनवाई हेतु अवसर प्रदान किया गया था किन्तु वह जानबूझकर उपस्थित नहीं हुआ हैं तब अपीलाधीन निर्णय पारित कर मुतनाजा भूमि पर अतिक्रमी करार देते हुए बेदखली का आदेश पारित किया हैं। अपीलांट द्वारा इस न्यायालय के समक्ष अपील में कहीं भी इस तथ्य का उल्लेख नहीं किया हैं कि मुतनाजा भूमि पर उसका कोई विधिवत हक–अधिकार हैं बल्कि उसने इस पर पुराना कब्जा होने से नियमन किये जाने का निवेदन किया हैं। यह विवादित भूमि सरकारी थी जिसमें से गरीब अनुसूचित जाति के काश्तकार जोधाराम को आवंटित हुई थी तथा इसके पश्चात अंतरित होकर वर्तमान रेस्पो0 सं. 1 की खातेदारी में दर्ज हैं ऐसे में निजी खातेदारी में दर्ज भूमि का अपीलांट के पक्ष में पुराने कब्जे के आधार पर नियमन किये जाने का कोई प्रावधान नहीं हैं। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत रूप से कार्यवाही संस्थित कर सुनवाई उपरांत अपीलांट कालुराम व रेस्पो0 सं. 2 निम्बाराम को उक्त भूमि पर अतिक्रमी करार दिया जाकर उन्हे मौके से बेदखल किये जाने का अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.10.2015 पारित किया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा की गई इस कार्यवाही में किसी प्रकार की विधिक या तथ्यात्मक त्रुटि कारित किया जाना नहीं पाया जाता हैं तथा यह न्यायालय अपीलाधीन आदेश से पूर्णतया सहमत होने से इसमें हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझता हैं। परिणामतः अपीलांट की ओर से प्रस्तुत यह अपील सारहीन एवं आधारहीन होने एवं मेरीट के अभाव में खारिज योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2021.08.31 17:42:42 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

8. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन एवं आधारहीन तथ्यो पर आधारित होने से खारिज की जाती हैं। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार पचपदरा द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन निर्णय दिनांक 12.10.2015 बहाल रखते हुए पुष्ट किया जाता हैं। तहसीलदार पचपदरा को यह भी निर्देशित किया जाता हैं कि अपीलाधीन निर्णय के अनुक्रम में नियमानुसार बेदखली कार्यवाही शीघ्र सम्पन्न कर रेस्पोडेंट सं. 1 को कब्जा सुपुर्द करें।

9. निर्णय आज दिनांक 10.08.2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2021.08.31 17:42:42 IST
Reason: SelfAttested